

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर(म.प्र.)




क्रमांक / अका. / 2022 / 6283

जबलपुर, दिनांक 9 / 2 / 2022

अधिसूचना


विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय को सूचित किया जाता है कि वे अपने महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों की वार्षिक सम्बद्धता एवं निरंतरता शुल्क सत्र 2022-23 की राशि वि0वि0 में जमा कर दी है और वि0वि0 को सूचित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आपको यह सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा जमा की गई शुल्क से वि0वि0 को अवगत करावें और अस्थायी सम्बद्धता/निरंतरता प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें। यदि आपके द्वारा उक्त कार्यवाही नहीं की जाती है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही महाविद्यालय प्राचार्य की होगी।


कुलसचिव 07/02/22
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर

क्रमांक / अका. / 2022 / 6283 "अ"

जबलपुर, दिनांक 9 / 2 / 2022

1. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यगण।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर संभाग जबलपुर।
3. वि0वि0 से सम्बद्ध अग्रणी जिले के शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने जिले के अंतर्गत समस्त शासकीय महाविद्यालयों की जानकारी के साथ कि उनके द्वारा वार्षिक सम्बद्धता/निरंतरता शुल्क जमा किया है या नहीं की जानकारी से वि0वि0 को अवगत करावें।
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रा0दु0वि0वि0, जबलपुर।


सहायक कुलसचिव(अकादमिक)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर